

तारीख  
हुकम

न  
अ  
हुक  
में

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

द्वारा अधिवक्ता इफ्फाद अपुमारा बेकरी  
क्रिम-वाइ नवीवश बनाम अलावश कां नं०-१३/१२

17.07.2018

पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा नियत सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत कराने विभाजन आराजीयात में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

~~Not done~~  
17/7/18